उपायुक्त, गुरूग्राम।

सेवा मे

M/s Peerage Buildwell Private Limited, G-25A, ring Road Mall, Plot No. 21, Mangalam Place, Sector-3, Rohini, Delhi-110085.

/ एम0बी0 63 कमांक

दिनांक 27-06- 2022

विषयः—

NOC for Aravali Project Plantation 1992 for construction of Commercial Colony on the land admeasuring 3.9625 Acres in the revenue estate of Village Badha & Hayatpur, District Gurugram, Haryana (regarding report of tehsildar and DFO, Gurugram).

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले मे उक्त के सम्बन्ध मे तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार, हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम से रिर्पोट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:–

तहसीलदार, मानेसर ने अपने कार्यालय के पत्र कमाकं 165/रीडर दिनांक 25.05.2022 के द्वारा रिपोंट इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमे लिखा है कि फिल्ड स्टाफ/पटवारी से रिपोंट ली गई। फिल्ड स्टाफ/पटवारी रिपोंट अनुसार मौजा बढा तहसील मानेसर जिला गुरूग्राम की अराजी किला न0 10//12/1/2(4-5), 12/2/2(3-14), 13/1/1(3-6), 19/1/1(1-13) किता 4 रकबा 12 कनाल 18 मरला के मालिक मैसर्ज स्मार्ट अरेना होमटउन एल०एल०पी0 है। उपरोक्त विषय बारे बिन्दूवार निम्नप्रकार से हैं-

- उपरोक्त आराजी भूमि दिनाक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन के राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी के खाना कैफियत में अरावली क्षेत्र का इन्द्राज दर्ज नही है।
- 2. उपरोक्त अराजी भूमि दिनाकं 07.05.1992 के नोटिफिकेशन व उसके पश्चात मिसल हकियत/चकबन्दी ताहाल कभी भी भूमि की किरम गैर मुमकिन पहाड, गैर मु0 राडा, गैर मु0 बीहड, बंजड बीहड या रून्द्र नही है।
- उपरोक्त अराजी भूमि की किस्म दिनाक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन के पूर्व व पश्चात उपरोक्त खसरा न0 की किस्म चाही है।
- उपरोक्त अराजी भूमि पर मिसल हकीयत/चकबन्दी ताहाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नही रही है।
- उपरोक्त अराजी मुतनाजा का किसी भी माननीय न्यायालय में राजस्व रिकार्ड किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस का इन्द्राज दर्ज नही है।
- 6. उपरोक्त अराजी भूमि पर राजस्व रिकार्ड की खाना कैफियत में SEZ(Special Economical Zone) का इन्द्राज नही है।
- उपरोक्त आराजी राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई भी खसरा न0 पर धारा 4, 6 व अवार्ड का इन्द्राज नही है।
- 8. उपरोक्त अराजी किला न0 की मलकियत बारे रिपोट विस्तारपूर्वक दर्ज की गई है।

नायब तहसीलदार, हरसरू ने अपने कार्यालय के पत्र कमाकं 1627/रीडर दिनांक 31.05.2022 के द्वारा रिर्पोट इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमे लिखा है कि रिर्पोट पटवारी हल्का से ली गई। रिर्पोट पटवारी हल्का अनुसार मौजा हयातपुर उपतहसील हरसरू जिला गुरूग्राम के किला नम्बरान 70//3/2/2(1–5), 4/2(7–2), 5(8–3), 6(4–2) किता 4 रकबा 20 कनाल 12 मरला का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त मांगी गई बिन्दूवार रिर्पोट निम्न प्रकार है:—

प्रेषक,

- 1. प्रार्थना पत्र में वर्णित किला नम्बरान अनुसार राजस्व रिकार्ड दिनाक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन 2. अनुसार राजस्व रिकार्ड दिनाकं 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल
- हकियत / चकबन्दी तक कभी भी अराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजड बीहड या रून्द्र नही रही है।
- 3. अनुसार राजस्व रिकार्ड दिनाकं 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी मुतनाजा की
- 4. अनुसार राजस्व रिकार्ड वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत / चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नही रही
- 5. अनुसार राजस्व रिकार्ड अराजी मुतनाजा का किसी माननीय न्यायालय में केस नही चल रहा है।
- 6. अनुसार राजस्व रिकार्ड अराजी भूमि SEZ(Special Economical Zone) में नही आती है।
- 7. अनुसार राजस्व रिकार्ड अराजी मुतनाजा पर धारा 4, 6 वा अवार्ड का इन्द्राज नही है। अनुसार राजस्व रिकार्ड प्रार्थना पत्र में वर्णित किला न0 70 / /3 /2 / 2(1-5), 4 / 2(7-2), 5(8-3),
- 6(4-2) किता 4 रकबा 20 कनाल 12 मरला की मालिक M/s Smart Arena Hometown LLP है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र कमांक 616-जी0 दिनांक 31.05.2022

के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनाक 21.01.2022 (M/s Smart Arena Home Town LLP In Collaboration with Peerage Buildwell Pvt. Ltd.) को गाव बढा के 1.6125 एकड एरिया व गावं हयातपुर के 2.35 एकड एरिया की फोरेस्ट क्लेरिफिकेशन आनलाईन जारी की जा चुकी है जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant M/s Smart Arena Home Town LLP In Collaboration with Peerage Buildwell Pvt. Ltd., Land Measuring 1.6125(Acre) having Rect. No/Killa No. 10//12/1/2(4-5), 12/2/2(3-14), 13/1/1(3-6), 19/1/1(1-13) Land located at village Badha District Gurugram & Land Measuring 2.35(Acre) having Rect. No/Killa No. 70//3/2/2(1-5), 4/2(7-2), 5 Min(6-7), 6(4-2) Land located at village Hayatpur District Gurugram made a proposal to use this land for Building Construction. It is made clear that:-

As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land A)

It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurgaon is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but B) felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer,

- If approach is required from Protected forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest C) Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s Smart Arena Home Town LLP In Collaboration with Peerage Buildwell Pvt. Ltd. whose land is located at Village/City Badha & Hayatpur District Gurgaon must obtain clearance as applicable under
- As per the records available with the Forest Department Gurgaon the area does not fall in
- areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project. D) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per
- the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 E) or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the
- The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble F) Supreme Court/High Courts.

- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.
 - It is subject to the following conditions:
 - 1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above.

अतः तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार, हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम की रिर्पोट अनुसार आपको Village-Badha & Hayatpur, District Gurugram की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिर्पोट इस शर्त पर जारी की जानी उचित होगी कि प्रार्थी प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरो पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बधित नम्बरो की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद् समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।